

# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम नियम 2011

## प्रपत्र-2

(नियम 16 देखिये )

पदाभिहित अधिकारी का नाम पद नाम

एवं कार्यालय प्राचार्य :- शासकीय पॉलिटेक्निक बिलासपुर छ.ग.

क	अधिसूचित लोक सेवा	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने दस्तावेजों की सूची	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित समय सीमा	सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद नाम	अपील प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पता	अपील के निराकरण हेतु समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1	संस्था स्तर पर छात्रों का ब्रांच परिवर्तन संबंधी आवेदन पत्रों पर निर्णय	प्रथम वर्ष हेतु -पी.पी.टी. अंक सूची की छायाप्रति एवं संबंधित श्रेणी (आरक्षित) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र एवं सत्यापन प्रमाण पत्र द्वितीय वर्ष हेतु-प्रथम/द्वितीय सेमे. की अंकसूची की छायाप्रति (कार्यवाही शासन द्वारा विश्वविद्यालय के नवीनतम निर्देशानुसार ही होगी)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर बिलासपुर	संभाग आयुक्त	45 दिन
2	संस्था स्तर पर सभी प्रकार की रिफांड का छात्र को भुगतान	संस्था में जमा फीस के संबंध में- जमा शुल्क की मूल प्रति एवं नोड्यूज	15 कार्य दिवस	कलेक्टर बिलासपुर	संभाग आयुक्त	45 दिन
3	छात्रों का ट्रांसफर /चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना	प्रथम प्रवेश के समय जमा शुल्क रसीद की छाया प्रति एवं समस्त सेमेस्टर की अंक सूची की छाया प्रति	7 कार्य दिवस	कलेक्टर बिलासपुर	संभाग आयुक्त	45 दिन
4	संस्था के निःशक्तजनों से प्राप्त आवेदन पत्रों /शिकायतों का निराकरण	शिकायत के संबंध में उचित दस्तावेज	7 कार्य दिवस	कलेक्टर बिलासपुर	संभाग आयुक्त	45 दिन
5	संस्था स्तर पर सभी प्रकार के (वापसी) रिफंड का निःशक्त जनों को भुगतान	संस्था में जमा फीस के संबंध में - जमा शुल्क रसीद की मूल प्रति एवं नोड्यूज	7 कार्य दिवस	कलेक्टर बिलासपुर	संभाग आयुक्त	45 दिन
6	निः शक्त जनों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	प्रथम प्रवेश के समय जमा शुल्क रसीद की छाया प्रति नोड्यूज एवं समस्त सेमे.की अंक सूची की छाया प्रति	3 कार्य दिवस	कलेक्टर बिलासपुर	संभाग आयुक्त	45 दिन

1	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं कक्ष	श्री जे.पी.एस.ठाकुर कार्या.सहा. ग्रेड-3 3-जी. आर. 07
2	अपील प्रस्तुत करने के लिये समय-सीमा	समक्ष अधिकारी के विनिश्चय के 30 दिन के भीतर